



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 31 मई, 2021 ई०
(ज्येष्ठ 10, 1943 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 3924 / दस-लाइसेंस-171 / विदेशी मदिरा-प्रीमियम रिटेल वैण्डस / 2021-2022

प्रयागराज, दिनांक : 31 मई, 2021 ई०

अधिसूचना

सा०प०नि-42

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2020, में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021

1—संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-नियम-2 का संशोधन-उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमवली, 2020, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

2-परिभाषा-

(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 से है।

(ख) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(ग) "परिवार" का तात्पर्य इसमें सम्मिलित दम्पति (पति-पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है।

(घ) "विदेशी मदिरा" का तात्पर्य निम्नलिखित से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-

(1) आयातित विदेशी मदिरा-बीयर और स्प्रिट, वाइन्स और लिकर्स जिन्हें भारत में मानव उपभोग के आशय से आयात किया गया हो और जिनपर ऐसे आयात के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन शुल्क संदेय हो।

(2) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई०एम०एफ०एल०)-भारत में निर्मित स्प्रिट या मदिरा, जिसे सुगंध या रंग की दृष्टि से भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा के समान परिष्कृत किया गया हो और जिसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, ब्रान्डी, रम, जिन, बोद्का व लीकर्स सम्मिलित है। इसमें भारत में निर्मित बीयर, पैक की हुयी ड्राट बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय (एल०ए०बी०) भी सम्मिलित है।

(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

2-परिभाषा-

(1) जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 से है;

(ख) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है;

(ग) "परिवार" का तात्पर्य इसमें सम्मिलित दम्पति (पति-पत्नी), आश्रित पुत्र/पुत्रों, अविवाहित पुत्री/पुत्रियों और आश्रित माता-पिता से है;

(घ) "विदेशी मदिरा" का तात्पर्य निम्नलिखित से है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-

(1) समुद्रपार विदेशी मदिरा-बीयर और स्प्रिट, वाइन्स और लिकर्स जिन्हें भारत में मानव उपभोग के आशय से आयात किया गया हो और जिनपर ऐसे आयात के लिये सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन शुल्क संदेय हो;

(2) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई०एम०एफ०एल०)-भारत में निर्मित स्प्रिट या मदिरा, जिसे सुगंधया रंग की दृष्टि से भारत में आयातित स्प्रिट या मदिरा के समान परिष्कृत किया गया हो और जिसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, ब्रान्डी, रम, जिन, बोद्का व लीकर्स सम्मिलित है। इसमें भारत में निर्मित बीयर, पैक की हुयी ड्राट बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय (एल०ए०बी०) भी सम्मिलित है;

(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(छ) "व्यक्ति" का तात्पर्य 21 वर्ष से अन्यून व्यक्ति से है, जो भारत का नागरिक हो।

(ज) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है।

(झ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट/किसी राजस्व जिला के कलेक्टर से है।

(ञ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रीमियम फुटकर विक्रय में विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर किसी आबकारी वर्ष के लिए प्रतिफल फीस के रूप में वसूल की जाने वाली नियत धनराशि से है।

परन्तु यदि ऐसा लाइसेंस आबकारी वर्ष प्रारम्भ होने के पश्चात निर्गत किया जाता है, तो वर्ष के बाकी अवधि के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण आबकारी वर्ष के अवशेष बचे त्रैमासों की संख्या के अनुसार किया जायेगा। एक त्रैमास के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(ट) "माल" का तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं की बिक्री हेतु बहु लाइसेंस रखने वाली एकल फर्म/कम्पनीके स्वामित्व वाले किसी परिसर में स्थित न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट प्लिंथ क्षेत्रफल वाले किसी बड़े भवन अथवा भवनों (क्रेताओं/भ्रमणकर्ताओं हेतु एक ही तल अथवा विभिन्न तलों पर परस्पर मिले हुये मार्गों, सामूहिक पारगमन क्षेत्र और अग्रदीर्घा, प्रांगण, वाहन पार्किंग सुविधा सहित) जिनमें बड़े व्यावसायिक काम्प्लेक्सों में विभिन्न प्रकार की प्रवेश योग्य दुकान/दुकानें हों, से है। इसमें विभिन्न वस्तुओं की फुटकर बिक्री के डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट भी सम्मिलित हैं।

(ठ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के एक चौथाई धनराशि के समतुल्य धनराशि, जो सावधि जमा रसीद के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत होगी अथवा ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो लाइसेंस संचालन में लाइसेंसधारी द्वारा किये गये किसी व्यतिक्रम की स्थिति में समपहृत किये जाने योग्य होगी, से है।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(छ) "व्यक्ति" का तात्पर्य 21 वर्ष से अन्यून व्यक्ति से है, जो भारत का नागरिक हो।

(ज) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन स्वीकृत लाइसेंस से है;

(झ) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट/किसी राजस्व जिला के कलेक्टर से है;

(ञ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य प्रीमियम फुटकर विक्रय में विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार के परामर्श से, आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर किसी आबकारी वर्ष के लिए प्रतिफल फीस के रूप में वसूल की जाने वाली नियत धनराशि से है:

परन्तु यह कि यदि ऐसा लाइसेंस आबकारी वर्ष प्रारम्भ होने के पश्चात निर्गत किया जाता है, तो वर्ष के बाकी अवधि के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण आबकारी वर्ष के अवशेष बचे त्रैमासों की संख्या के अनुसार किया जायेगा। एक त्रैमास के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(ट) "माल" का तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं की बिक्री हेतु बहु लाइसेंस रखने वाली एकल फर्म/कम्पनीके स्वामित्व वाले किसी परिसर में स्थित न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट प्लिंथ क्षेत्रफल वाले किसी बड़े भवन अथवा भवनों (क्रेताओं/भ्रमणकर्ताओं हेतु एक ही तल अथवा विभिन्न तलों पर परस्पर मिले हुये मार्गों, सामूहिक पारगमन क्षेत्र और अग्रदीर्घा, प्रांगण, वाहन पार्किंग सुविधा सहित) जिनमें बड़े व्यावसायिक काम्प्लेक्सों में विभिन्न प्रकार की प्रवेश योग्य दुकान/दुकानें हों, से है। इसमें विभिन्न वस्तुओं की फुटकर बिक्री के डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट भी सम्मिलित हैं।

(ठ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के एक चौथाई धनराशि के समतुल्य धनराशि, जो सावधि जमा रसीद के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत होगी अथवा ई-पेमेंट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो लाइसेंस संचालन में लाइसेंसधारी द्वारा किये गये किसी व्यतिक्रम की स्थिति में समपहृत किये जाने योग्य होगी, से है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(ड) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" का तात्पर्य थोक लाइसेंस यथा एफ०एल०-2, एफ०एल०-2बी, एफ०एल०-2डी और सीमाशुल्क बंधपत्र से विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु जारी अनुज्ञापन से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

3-**नियम-3 का संशोधन**—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्—

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

3. विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस—

मालमेंसील्ड बोतलों/पैकेटों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र वि०म०-4ग में लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किये जायेंगे:

(एक) यह कि विक्रय हेतु दुकान न्यूनतम 500 वर्ग फुट कार्पेट क्षेत्र में होगी और दुकानों में ग्राहकों हेतु प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(दो) यह कि विक्रय हेतु दुकान अच्छी गुणवत्ता की फ्लोरिंग और सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सकें।

(तीन) यह कि विक्रय हेतु दुकान में मदिरा भण्डारण एवं प्रदर्शन हेतु पृथक-पृथक प्रांगण होंगे और

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(ड) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" का तात्पर्य थोक लाइसेंस यथा एफ०एल०-2, एफ०एल०-2बी, एवं बी०आई०ओ०-1 से विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु जारी अनुज्ञापन से है।

(ढ) "आस्वादन कक्ष" का तात्पर्य लाइसेंस परिसर के भीतर एक अलग स्थान, जहाँक्रेता को वाइन के आस्वादन की सुविधा अनुज्ञेय हो, से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3. विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस—

माल में सील्ड बोतलों/पैकेटों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र वि०म०-4ग में लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान किये जायेंगे:

(एक) यह कि विक्रय हेतु दुकान न्यूनतम 500 वर्ग फुट कार्पेट क्षेत्र में होगी और दुकानों में ग्राहकों हेतु प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(दो) यह कि विक्रय हेतु दुकान अच्छी गुणवत्ता की फ्लोरिंग और सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सकें।

(तीन) यह कि विक्रय हेतु दुकान में मदिरा भण्डारण एवं प्रदर्शन हेतु पृथक-पृथक प्रांगण होंगे और

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(चार) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी केवल उन्हीं श्रेणियों की विदेशी मदिरा, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा यथा स्थिति अधिकृत किया जाय, की बिक्री सील्ड बोतलों/पैकेटों में व्यक्तियों को करेगा।

(पाँच) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी व्यक्तियों को परिसर में उपभोग हेतु मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(छः) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी किसी अन्य लाइसेंसधारी को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(सात) इस संबंध में ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें आबकारी आयुक्त अधिरोपित करना उचित समझें।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(चार) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी केवल उन्हीं श्रेणियों की विदेशी मदिरा, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा यथा स्थिति प्राधिकृत किया जाय, की बिक्री सील्ड बोतलों/पैकेटों में व्यक्तियों को करेगा।

(पाँच) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी व्यक्तियों को परिसर में उपभोग हेतु मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(छः) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी किसी अन्य लाइसेंसधारी को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।

(सात) इस संबंध में ऐसी अन्य शर्तें, जिन्हें आबकारी आयुक्त अधिरोपित करना उचित समझें।

(आठ) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी क्रेता को वाइन आस्वादन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा।

(नौ) यह कि दुकान का लाइसेंसधारी, मदिरा उपभोग से सम्बन्धित उपसाधन की बिक्री कर सकेगा।

4-नियम-18 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में, दिए गए विद्यमान नियम-18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

18. केवल शुल्क संदत्त विदेशी मदिरा की बिक्री-

(1) लाइसेंसधारी केवल (क) आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्डों, (ख) स्काच या इससे उच्च श्रेणी के भारत निर्मित विदेशी मदिरा ब्राण्डों, (ग) ब्राण्डी, जिन और वाइन के समस्त श्रेणियों के ब्राण्ड, (घ) वोदका एवं रम के रुपया 700.00 तथा उससे अधिक के अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्राण्ड, और (ङ) रुपया 160.00 प्रति 500 एम०एल० कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली या इसके समतुल्य बीयर ब्राण्डों की बिक्री करेगा।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

18. केवल शुल्क संदत्त विदेशी मदिरा की बिक्री-

(1) लाइसेंसधारी केवल (क) समुद्र पार विदेशी मदिरा ब्राण्डों, (ख) स्काच या इससे उच्च श्रेणी के भारत निर्मित विदेशी मदिरा ब्राण्डों (ग) ब्राण्डी, जिन और वाइन की समस्त श्रेणियों, (घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित अधिकतम फुटकर मूल्य की वोदका, रम और बीयर के ब्राण्ड और (ङ) कम तीव्रता के मादक पेय के समस्त ब्राण्डकी बिक्री करेगा।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञा प्राप्त समस्त एस०के०यू० (स्टॉक कीपिंग यूनिट) में पात्र ब्राण्डों की बिक्री की जा सकती है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

(2) लाइसेंसधारी, विदेशी मदिरा, एफ0एल0 2, एफ0एल0 2बी, एफ0एल 2डी के लाइसेंस धारक से या आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से प्राप्त करेगा। एफ0एल0-2, एफ0एल0-2बी, एफ0एल0-2डी के थोक लाइसेंसधारी से किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से सीमा शुल्क बन्ध-पत्रों से विदेशी मदिरा प्राप्त कर सकता है।

(3) लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति को भू-गृहादि के "भीतर" उपभोग के लिये किसी विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा और कोई विदेशी मदिरा किसी अन्य लाइसेंसधारी को विक्रीत नहीं करेगा।

(4) लाइसेंसधारी केवल आयातित विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा के केवल उन्हीं ब्राण्डों की बिक्री करेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित धारिताओं की मुहरबंद बोतलों/पैकेटों में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु पंजीकृत हैं।

(5) लाइसेंसधारी अनुज्ञात थोक विक्रेताओं/सीमा शुल्क बन्ध-पत्रों से क्रय किये गये स्टाको के सिवाय किसी प्रकार की विदेशी मदिरा का संचय या विक्रय लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं करेगा जिसके क्रय, संचय या बिक्री हेतु वह अधिनियम या तद्धीनबनाई गयी नियमावली, विनियमावली या आदेशों के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत न हो।

(6) लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर से भिन्न किसी स्थान पर विदेशी मदिरा संचित नहीं करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर या उसके निकट अनधिकृत रूप में रखी गयी किसी विदेशी मदिरा के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) लाइसेंसधारी सुसंगत नियमावली के अधीन जारी परिवहन पास के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त परिसर के लिए विदेशी मदिरा का परिवहन करेगा।

(8) दुकान में उपलब्ध प्रत्येक विदेशी मदिरा की बोतल पर निर्माता के लेबिल और सुरक्षा कोड के अतिरिक्त ढक्कन पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल चस्पा होगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) लाइसेंसधारी, विदेशी मदिरा, एफ0एल0 2, एफ0एल0 2बी, बी0आई0ओ0-1 लाइसेंसधारक या आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से प्राप्त करेगा। आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन इन ब्राण्डों को उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबन्धों के अधीन अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित कस्टम बाण्डों से प्राप्त किया जा सकता है।

(3) लाइसेंसधारी किसी व्यक्ति को भू-गृहादि के "भीतर" उपभोग के लिये किसी विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं करेगा और कोई विदेशी मदिरा किसी अन्य लाइसेंसधारी को विक्रय नहीं करेगा।

(4) लाइसेंसधारी केवल आयातित विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा के केवल उन्हीं ब्राण्डों की बिक्री करेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित धारिताओं की मुहरबंद बोतलों/पैकेटों में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु रजिस्ट्रीकृत हैं।

(5) लाइसेंसधारी अनुज्ञात थोक विक्रेताओं/बी0आई0ओ0-1 से क्रय किये गये स्टाक के सिवाय किसी प्रकार की विदेशी मदिरा का संचय या विक्रय लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं करेगा जिसके क्रय, संचय या बिक्री हेतु वह अधिनियम या तद्धीनबनाई गयी नियमावली, विनियमावली या आदेशों के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत न हो।

(6) लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर से भिन्न किसी स्थान पर विदेशी मदिरा संचित नहीं करेगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के बाहर या उसके निकट अनधिकृत रूप में रखी गयी किसी विदेशी मदिरा के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) लाइसेंसधारी सुसंगत नियमावली के अधीन जारी परिवहन पास के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त परिसर के लिए विदेशी मदिरा का परिवहन करेगा।

(8) दुकान में उपलब्ध प्रत्येक विदेशी मदिरा की बोतल पर निर्माता के लेबिल और सुरक्षा कोड के अतिरिक्त ढक्कन पर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित लेबिल चस्पा होगा।

5-प्रपत्र-एफ0एल0-4 (ग) का संशोधन-उक्त नियमावली, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र एफ0एल0-4 (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
वि0म0-4(ग)

भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द
बोतलों/पैकेटों में विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के
लिए "प्रीमियम रिटेल वेण्डस" का लाइसेंस
(नियम-7 के अन्तर्गत)

आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो
---------------	---------------

स्तम्भ-2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
वि0म0-4(ग)

भूगृहादि के बाहर उपभोग के लिये मुहरबन्द
बोतलों/पैकेटों में विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के
लिए "प्रीमियम फुटकर विक्रय" का लाइसेंस
(नियम-7 के अधीन)

आवेदक का फोटो	प्रीमियम फुटकर विक्रय का फोटो
---------------	----------------------------------

प्रीमियम रिटेल वेण्डस का अक्षांश/देशान्तर.....

प्रीमियम फुटकर विक्रय का अक्षांश/देशान्तर.....

लाइसेंस संख्या.....

लाइसेंस संख्या.....

प्रीमियम रिटेल वेण्डस का नाम.....
जिला.....

प्रीमियम फुटकर विक्रय का नाम.....
जिला.....

लाइसेंस फीस रूपया
(अंकों में).....(शब्दों में)

लाइसेंस फीस रूपया.....
(अंकों में).....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में)
.....(शब्दों में)

प्रतिभूति धनराशि रु0(अंकों में)
.....(शब्दों में)

भूगृहादि का विवरण (चौहद्दी के साथ)

परिसर का विवरण (चौहद्दी के साथ)

उत्तर.....

उत्तर.....

दक्षिण.....

दक्षिण.....

पूरब.....

पूरब

पश्चिम.....

पश्चिम.....

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम
और पते

लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के नाम, पिता के नाम
और पते

(1).....पुत्र.....
.....निवासी

(1).....पुत्र.....
.....निवासी

(2).....पुत्र.....
.....निवासी

(2).....पुत्र.....
.....निवासी

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

- (1).....पुत्र.....
.....निवासी
- (2).....पुत्र.....
.....निवासी
- (3).....पुत्र.....
.....निवासी
- (4).....पुत्र.....
.....निवासी

परिसर के बाहर उपभोग के लिए मुहरबंद मानक बोतलों में विदेशी मदिरा, की फुटकर बिक्री के लिये प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स का लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... (स्थान) पुलिस थाना..... तहसील..... के लिए दिनांक..... से 31 मार्च.....तक के लिये जिसके लिये नियम-8 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन है, जिसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के दोषसिद्धि पर या उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अधीन बहिष्कृत होने पर सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य होगा तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि समपहृत किए जाने योग्य होगी।

सामान्य और विशेष शर्तें

एक-लाइसेंसधारी, जिला के वि०म०-2, वि०म०-2ख, वि०म०-2घ लाइसेंस धारक से अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से विदेशी मदिरा की आपूर्ति, समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त करेगा। वि० म०-2, वि०म०-2ख, वि०म०-2घ के थोक लाइसेंस में किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता की स्थिति में लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से कस्टम बाण्ड वेयर हाउस से विदेशी मदिरा प्राप्त कर सकता है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

विक्रेता के नाम, पिता के नाम, और पते

- (1).....पुत्र.....
.....निवासी
- (2).....पुत्र.....
.....निवासी
- (3).....पुत्र.....
.....निवासी
- (4).....पुत्र.....
.....निवासी

परिसर के बाहर उपभोग के लिए मुहरबंद मानक बोतलों में विदेशी मदिरा, की फुटकर बिक्री के लिये प्रीमियम फुटकर विक्रय का लाइसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला.....के अन्तर्गत..... (स्थान) पुलिस थाना..... तहसील..... के लिए दिनांक..... से 31 मार्च..... तक के लिये जिसके लिये नियम-8 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, प्रदान किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन है, जिसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों के दोष सिद्धि पर या उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम ,1970 के अधीन बहिष्कृत होने पर सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त लाइसेंस रद्द किये जाने योग्य होगा तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि समपहृत किए जाने योग्य होगी।

सामान्य और विशेष शर्तें

एक-लाइसेंसधारी, वि०म०-2, वि०म०-2ख, बी०आई०ओ०-1 लाइसेंस धारक अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी लाइसेंसधारी से विदेशी मदिरा की आपूर्ति, समय-समय पर उदग्रहणीय समस्त करों, प्रतिफल फीस, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त करेगा। आयातक इकाइयों में समुद्रपार विदेशी मदिरा के किसी प्रकार के ब्राण्डों की अनुपलब्धता की स्थिति में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन इन ब्राण्डों को उत्तर प्रदेश में समुद्रपार की विदेशी मदिरा का आयात नियमावली, 2003 के उपबंधों के अधीन अन्य राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में स्थापित कस्टम बाण्डों से प्राप्त किया जा सकता है।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

दो-विदेशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य नहीं प्रभारित करेगा।

तीन-लाइसेंस प्राप्त परिसर पर विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।

चार-विहित तीव्रता और मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैनों में जिनपर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित सुरक्षा कोड और लेबिल चस्पा हो विदेशी मदिरा की बिक्री की जायेगी।

पाँच-लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ०एल०-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा अनुरक्षित रखेगा। लाइसेंसधारी विक्रय आदि का भी लेखा प्रस्तुत करेगा और निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी की अपेक्षानुसार सामग्री तथा दस्तावेजों की सुविधा प्रदान करेगा तथा उन्हें उपलब्ध करायेगा।

छः-लाइसेंस धारी विदेशी मदिरा का संपूर्ण स्टाक लाइसेंसप्राप्त परिसर में ही संचित करेगा।

सात-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रारूप/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में होंगी।

आठ-साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना भी प्रदर्शित होगी:-

“दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

“शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

नौ-लाइसेंस प्राप्त परिसर में अस्त्र लेकर प्रवेश करना सर्वथा निषिद्ध होगा।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

दो-विदेशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित किया जायेगा। फुटकर लाइसेंसधारी मुद्रित अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य नहीं प्रभारित करेगा।

तीन-लाइसेंस प्राप्त परिसर पर विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी। परिसर में मदिरापान निषिद्ध होगा।

चार-विहित तीव्रता और मानक धारिता की मुहरबन्द बोतलों/कैनों में जिनपर आबकारी आयुक्त द्वारा विहित सुरक्षा कोड और लेबिल चस्पा हो विदेशी मदिरा की बिक्री की जायेगी।

पाँच-लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा विहित प्रपत्र और रजिस्टर (एफ०एल०-25ए) में नियमित और सही-सही दैनिक लेखा अनुरक्षित रखेगा। लाइसेंसधारी विक्रय आदि का भी लेखा प्रस्तुत करेगा और निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी की अपेक्षानुसार सामग्री तथा दस्तावेजों की सुविधा प्रदान करेगा तथा उन्हें उपलब्ध करायेगा।

छः-लाइसेंस धारी विदेशी मदिरा का संपूर्ण स्टाक लाइसेंसप्राप्त परिसर में ही संचित करेगा।

सात-लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रारूप/आकार का एक सहज दृश्य साइनबोर्ड लगाएगा, जिसपर लाइसेंसधारी का नाम, पद, दुकान की अवस्थिति, लाइसेंस की अवधि, दुकान खुलने व बन्द होने का समय और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएँ भी मोटे अक्षरों में होंगी।

आठ-साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना भी प्रदर्शित होगी:-

“दुकान के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।

“शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलायें।”

नौ-लाइसेंस प्राप्त परिसर में अस्त्र लेकर प्रवेश करना सर्वथा निषिद्ध होगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

दस-लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।

ग्यारह-सिवाय जब कि अनुमति पत्र हो, लाइसेंसधारी किसी भी क्रेता को 6 लीटर भारत में भरी हुई या आयातित विदेशी मदिरा प्रत्येक अलग-अलग, जिसमें व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, (व्हाइट रम सहित) जिन व वोदका सम्मिलित है, 3 लीटर भारत में भरी हुई या आयातित वाइन दोनों अलग-अलग, 2 लीटर अन्य भारतीय व आयातित मदिरा, 7.8 लीटर भारत में भरी व आयातित बीयर, प्रत्येक अलग-अलग और 6 लीटर कम तीव्रता के मादक पेय से अधिक की फुटकर बिक्री एक बार में नहीं करेगा।

बारह-21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को विक्री नहीं की जायेगी।

तेरह-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में बोटलों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड और पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

चौदह-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई भी आसव, कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकारक सामग्री नहीं रखेगा।

पन्द्रह-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करने का कार्य जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

सोलह-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों में पूर्वान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की प्रीमियम रिटेल वेण्ड की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिन/दिनों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

दस-लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग या छुआ-छूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।

ग्यारह-लाइसेंसधारी परमिट के सिवाय एक बार में राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथाविहितमात्रा से अधिक की बिक्री किसी भी क्रेता को नहीं करेगा।

बारह-21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को विक्री नहीं की जायेगी।

तेरह-लाइसेंसधारी के लिए किसी दशा में बोटलों या उनके लेबुलों, सुरक्षा कोड और पिल्फरप्रूफ मुहरों से बिगाड़ करना (विकृत करना) सर्वथा निषिद्ध है।

चौदह-लाइसेंसधारी अपने लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई भी आसव, कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा कोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकारक सामग्री नहीं रखेगा।

पन्द्रह-लाइसेंसधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या आकर्षित करने का कार्य जैसे द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना सर्वथा निषिद्ध है।

सोलह-लाइसेंस प्राप्त परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेदकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और तीन ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्दी के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिवसों में पूर्वान्ह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के उपबन्धों के अधीन कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान की प्रीमियम फुटकर विक्रय की बन्दी के आदेश दे सकता है। उपरोक्त दिन/दिनों में प्रीमियम फुटकर विक्रय की बन्दी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

सत्रह-विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।

अठारह-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

उन्नीस-प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा या अन्य किसी पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।

बीस-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु डिस्पेन्सिंग मशीन स्थापित कर सकता है।

इक्कीस-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सत्रह-विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री को छोड़कर जिसके लिए कि लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंसधारी को लाइसेंसप्राप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।

अठारह-लाइसेंसधारी लाइसेंस की समाप्ति पर अवशेष स्टॉक के निस्तारण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम-16 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

उन्नीस-प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंस प्राप्त परिसर में देशी मदिरा या अन्य किसी पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।

बीस-लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु डिस्पेन्सिंग मशीन स्थापित कर सकता है।

इक्कीस-लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य एवं विशिष्ट अनुदेशों का पालन करेगा।

बाईस-दुकान का लाइसेंसधारी क्रेता को वाइन के लिए आस्वादन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा।

तेइस-दुकान का लाइसेंसधारी मदिरा उपभोग से सम्बन्धित उपसाधन की बिक्री कर सकता है।

दिनांक

जिला.....

लाइसेंस प्राधिकारी

आज्ञा से,
पी० गुरु प्रसाद,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF EXCISE COMMISSINOR, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

No. 3924/X-License-171/FL-Premium Retail Vends/2021-2022

Prayagraj, dated : May 31, 2021

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under section 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Premium Retail Vends of Foreign Liquor) Rules, 2020.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR PREMIUM RETAIL VENDS OF FOREIGN LIQUOR) (FIRST AMENDMENT)

1. **Short title and commencement**-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Premium Retail Vends of Foreign Liquor) (First Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. **Amendment of rule-2**—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licenses for Premium Retail Vends of Foreign Liquor) Rules, 2020, hereinafter referred to as the said rules, for existing rule-2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely—

Column-I
(Existing rule)

Definition-1. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.

(b) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April and ending with 31 March of a calendar year.

(c) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;

(d) "Foreign liquor" means and includes the following-

(1) Imported Foreign Liquor:-Beer and spirit, wines and liquors, which have been imported into India and are intended for human consumption, and are liable, on such importation, to duty under the Custom Tariff Act, 1975 read with Customs Act, 1962.

(2) Indian Made Foreign Liquor (IMFL):-Spirit or liquor made in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour, liquor imported into India and includes Malt spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka and liqueurs. It also includes beer brewed in India or packed draught beer, porter, cider, ale, wine and low alcoholic beverages(LAB).

(e) "Form" means a form appended to these rules;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh.

(g) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years.

(h) "License" means license granted under these rules;

Column-II
(Rule as hereby substituted)

Definition-1. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time.

(b) "Excise Year" means the financial year commencing from 1st April and ending with 31 March of a calendar year.

(c) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents;

(d) "Foreign liquor" means and includes the following-

(1) Overseas Foreign Liquor:-Beer and spirit, wines and liquors, which have been imported into India and are intended for human consumption, and are liable, on such importation, to duty under the Custom Tariff Act, 1975 read with Customs Act, 1962.

(2) Indian Made Foreign Liquor(IMFL):-Spirit or liquor made in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour, liquor imported into India and includes Malt spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka and liqueurs. It also includes beer brewed in India or packed draught beer, porter, cider, ale, wine and low alcoholic beverages(LAB).

(e) "Form" means a form appended to these rules;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh.

(g) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years.

(h) "License" means license granted under these rules;

Column-I
(Existing rule)

(i) "Licensing Authority" means the District Magistrate/Collector of a revenue district.

(j) "License fee" means a sum fixed as consideration fee for grant of the license for exclusive privilege of retail sale of foreign liquor in premium retail vend to be realised by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for an excise year.

Provided that if such license is issued after the beginning of the excise year then license fee for the remaining period of the year shall be determined in proportion to the remaining number of quarters of the excise year. The license fee for a quarter is determined proportionately.

(k) "Mall" means a large business complex which contains a variety of walk-in store(s) housed in one large building or buildings (with interconnecting pathways, on same or different floors with common passage area for buyers / visitors including the atrium or foyer, having parking facility) with a minimum plinth area of 10,000 square feet, situated within a compound and is owned by single firm / company having multiple licenses to sell various commodities. It includes departmental stores, super markets or hybrid hyper markets for retail sale of various commodities.

(l) "Security Amount" means the amount equal to one-fourth of the amount of license fee, to be deposited through F.D.R pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment within fifteen days of grant of license and is liable to be forfeited in case of any default committed by the licensee in the operation of license.

(m) "Transport permit" means a permit issued for transport of foreign liquor from the wholesale license such as FL-2, FL-2B, FL-2D and custom bond.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(i) "Licensing Authority" means the District Magistrate/Collector of a revenue district.

(j) "License fee" means a sum fixed as consideration fee for grant of the license for exclusive privilege of retail sale of foreign liquor in premium retail vend to be realized by the Excise Commissioner in consultation with the State Government from time to time for an excise year.

Provided that if such license is issued after the beginning of the excise year then license fee for the remaining period of the year shall be determined in proportion to the remaining number of quarters of the excise year. The license fee for a quarter is determined proportionately.

(k) "Mall" means a large business complex which contains a variety of walk-in store(s) housed in one large building or buildings (with interconnecting pathways, on same or different floors with common passage area for buyers / visitors including the atrium or foyer, having parking facility) with a minimum plinth area of 10,000 square feet, situated within a compound and is owned by single firm / company having multiple licenses to sell various commodities. It includes departmental stores, super markets or hybrid hyper markets for retail sale of various commodities.

(l) "Security Amount" means the amount equal to one-fourth of the amount of license fee, to be deposited through F.D.R pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment within fifteen days of grant of license and is liable to be forfeited in case of any default committed by the licensee in the operation of license.

(m) "Transport permit" means a permit issued for transport of foreign liquor from the wholesale license such as FL-2, FL-2B, and BIO-1.

Column-I
(Existing rule)

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Amendment of rule-3— In the said rules, for existing rule 3 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:-

Column-I
(Existing rule)

3-License for Premium Retail Vends of Foreign Liquor-

One or more licenses in form F.L-4-C may be granted by the Licensing Authority for retail sale of Foreign Liquor in sealed bottles/packs in Mall subject to the following conditions:

(i) that the vend shall have at least 500 sq feet carpet area and provide customers the facility to walk in the shops and select his/ her choice of brand from the shelves.

(ii) that the vend shall have to be air conditioned with good quality flooring and be well decorated with shelves so that various brands are displayed in shelves with systematic layout plan.

(iii) that the vend shall have separate enclosures for storage and display of liquor; and

(iv) that the licensee of the vend shall sell only those categories of Foreign Liquor authorized by the Excise Commissioner, as the case may be, to Individuals in sealed bottles/packs.

(v) that the licensee of the vend shall not sell liquor to Individuals for consumption "on" the premises.

(vi) that the licensee of the vend shall not sell liquor to any other licensee.

(vii) such other conditions as the Excise Commissioner may deem fit to impose in this regard.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(n) "Tasting room" means a separate space within license premises where facility of wine tasting is permissible to buyer.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

3-License for Premium Retail Vends of Foreign Liquor-

One or more licenses in form F.L-4-C may be granted by the Licensing Authority for retail sale of Foreign Liquor in sealed bottles in Mall subject to the following conditions:

(i) that the vend shall have at least 500 sq feet carpet area and provide customers the facility to walk in the shops and select his/ her choice of brand from the shelves.

(ii) that the vend shall have to be air conditioned with good quality flooring and be well decorated with shelves so that various brands are displayed in shelves with systematic layout plan.

(iii) that the vend shall have separate enclosures for storage and display of liquor; and

(iv) that the licensee of the vend shall sell only those categories of Foreign Liquor authorized by the Excise Commissioner, as the case may be, to Individuals in sealed bottles/packs.

(v) that the licensee of the vend shall not sell liquor to Individuals for consumption "on" the premises.

(vi) that the licensee of the vend shall not sell liquor to any other licensee.

(vii) such other conditions as the Excise Commissioner may deem fit to impose in this regard.

Column-I
(Existing rule)

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(viii) that the licensee of the vend may provide tasting room facility of wine to buyer.

(ix) that the licensee of the vend may sell accessory regarding liquor consumption.

4. Amendment of rule-18– In the said rules, for existing rule 18 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely:-

Column-I
(Existing rule)

Column-II
(Rule as hereby substituted)

18. Sale of only duty paid foreign liquor-

(1) The licensee shall sell only,- (a) imported foreign liquor brands, (b) IMFL brands of Scotch or above category, (c) all categories of brandi, Gin and wine, (d) brands of vodka and rum with maximum retail price of more than Rs. 700.00 and above, and (e) brands of beer with maximum retail price of more than Rs. 160.00 per can of 500 ml or equivalent.

(2) The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, FL-2D or from any licensee authorized by the Excise Commissioner. In case of non-availability of any brand from wholesale licensee of FL-2, FL-2B FL-2D, the licensee may procure the foreign liquor from custom bonds with prior approval of licensing authority.

(3) The licensee shall not sell any foreign liquor to any person for consumption "on" the premises and shall not sell any foreign liquor to any other licensee.

(4) The licensee shall sell only those brands of imported foreign liquor and IMFL which are registered for sale in Uttar Pradesh in sealed bottles/packs and sizes as approved by Excise Commissioner.

(5) The licensee shall not stock or sell in the licensed premises foreign liquor except stocks purchased from the permitted wholesalers / custom bonds, of any kind which he is not authorized to buy, stock or sell under the provisions of the Act or the rules, regulations or orders made there under.

18. Sale of only duty paid foreign liquor-

(1) The licensee shall sell only,- (a) Overseas foreign liquor brands, (b) IMFL brands of Scotch or above category (c) all categories of brandy, Gin and wine, (d) brands of vodka, rum and beer with maximum retail price as prescribed by Excise Commissioner with previous approval of State Government and (e) all brands of LAB.

Provided that all these eligible brands can be sold in all SKUs (Stock Keeping Units) permitted by Excise Commissioner.

(2) The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, BIO-1 or from any licensee authorized by the Excise Commissioner. In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules 2003.

(3) The licensee shall not sell any foreign liquor to any person for consumption "on" the premises and shall not sell any foreign liquor to any other licensee.

(4) The licensee shall sell only those brands of imported foreign liquor and IMFL which are registered for sale in Uttar Pradesh in sealed bottles/packs and sizes as approved by Excise Commissioner.

(5) The licensee shall not stock or sell in the licensed premises foreign liquor except stocks purchased from the permitted wholesalers/BIO-1, of any kind which he is not authorized to buy, stock or sell under the provisions of the Act or the rules, regulations or orders made there under.

Column-I
(Existing rule)

(6) The licensee shall not stock foreign liquor in any place other than the licensed premises. The licensee shall be held responsible for any foreign liquor unauthorizedly kept outside or nearby the licensed premises.

(7) The licensee shall transport foreign liquor to the license premises through transport passes issued under relevant rules.

(8) Every bottle of foreign liquor in the shop shall carry labels prescribed by the Excise Commissioner on the cap of the bottle in addition to the manufacturer's label and security code.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(6) The licensee shall not stock foreign liquor in any place other than the licensed premises. The licensee shall be held responsible for any foreign liquor unauthorized kept outside or nearby the licensed premises.

(7) The licensee shall transport foreign liquor to the license premises through transport passes issued under relevant rules.

(8) Every bottle of foreign liquor in the shop shall carry labels prescribed by the Excise Commissioner on the cap of the bottle in addition to the manufacturer's label and security code.



5. Amendment of Form F.L.-4(C)– In the said rules, for existing Form F.L.- 4 (C) set out in Column-I below, the Form as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I
(Existing rule)

F.L.- 4 (C)

Premium Retail Vend license for the Retail Sale of Foreign Liquor in sealed Bottles/Packs for consumption "off" the premises.

(Under Rule -7)



Latitude/Longitude of premium retail vends.....
.....

License
No.....

Name of premium retail vends
.....District
.....

License fee Rs..... (in
figures)..... (in words)

Security amount Rs.....(in
figures).....(in words)


Description of premises (with boundaries)

Column-II
(Rule as hereby substituted)

F.L.- 4 (C)

Premium Retail Vend license for the Retail Sale of Foreign Liquor in sealed Bottles/Packs for consumption "off" the premises.

(Under Rule -7)



Latitude/Longitude of premium retail vends.....
.....

License
No.....

Name of premium retail vends
.....District
.....

License fee Rs..... (in
figures)..... (in words)

Security amount Rs.....(in
figures).....(in words)

Description of premises (with boundaries)

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule as hereby substituted)
North.....	North.....
South.....	South.....
East.....	East.....
West.....	West.....
Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---	Name, Father's Name & Address of Licensee(s)---
1.....s/oR/o.....	1.....s/oR/o.....
2.....s/oR/o.....	2.....s/oR/o.....
Name, Father's Name & Address of Salesmen--	Name, Father's Name & Address of Salesmen--
1.....s/oR/o.....	1.....s/oR/o.....
2.....s/oR/o.....	2.....s/oR/o.....
3.....s/oR/o.....	3.....s/oR/o.....
4.....s/oR/o.....	4.....s/oR/o.....

Premium retail vend license for the retail sale of Foreign Liquor in sealed standard bottles for consumption “off” the premises is hereby granted to above license holder(s) at (Place) in P.S..... Tehsil in the District of w.e.f. to March 31, 20..... for which license fee and security deposit has been made in accordance with rule-8.

The license is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction of the licensee(s) for any offence under the UP Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or externment under U.P. Control of Goondas Act, 1970 shall make the license liable for cancellation, forfeiture of the license fee and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Premium retail vend license for the retail sale of Foreign Liquor in sealed standard bottles for consumption “off” the premises is hereby granted to above license holder(s) at (Place) in P.S. Tehsil in the District of w.e.f. to March 31, 20..... for which license fee and security deposit has been made in accordance with rule-8.

The license is subject to the following special & general conditions, the infraction of any of which or a conviction of the licensee(s) for any offence under the UP Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or externment under U.P. Control of Goondas Act, 1970 shall make the license liable for cancellation, forfeiture of the license fee and security deposit, in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

Column-I
(Existing rule)

General and Special Conditions

(i) The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, FL-2D or from any licensee authorised by the Excise Commissioner, after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess, etc. leviable from time to time. In case of non-availability of any brand in wholesale license of FL-2, FL-2B FL-2D, the licensee may procure the foreign liquor from custom bond warehouse with prior approval of licensing authority.

(ii) Maximum retail price shall be printed on the label of bottles of Foreign Liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed MRP.

(iii) Sale of foreign liquor, beer wine and low alcoholic beverages on licensed premises shall be made only for consumption “off” the premises. Drinking of liquor is prohibited in the premises.

(iv) The sale of Foreign Liquor shall be made in sealed bottles/cans of standard capacity of prescribed strength which carry labels and security code prescribed by the Excise Commissioner.

(v) The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

(vi) The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor in the licensed premises only.

(vii) The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the premium retail vend in the form/size approved by the Excise Commissioner bearing the name of the licensee, designation, location of premium retail vend, period of license, opening and closing time of vend and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

General and Special Conditions

(i) The licensee shall procure Foreign Liquor from license holder of FL-2, FL-2B, BIO-1 or from any licensee authorized by the Excise Commissioner, after making full payment of price of liquor including all taxes, consideration fee, cess, etc. leviable from time to time. In case of non-availability of any type of brands of overseas foreign liquor at importing units, authorized persons may procure these brands under special permission of Excise Commissioner from custom bonds established in other states or Union Territories under provisions of import of overseas foreign liquor in Uttar Pradesh Rules 2003.

(ii) Maximum retail price shall be printed on the label of bottles of Foreign Liquor. The retail licensee shall not charge more than the printed MRP.

(iii) Sale of foreign liquor, beer wine and low alcoholic beverages on licensed premises shall be made only for consumption “off” the premises. Drinking of liquor is prohibited in the premises.

(iv) The sale of Foreign Liquor shall be made in sealed bottles/cans of standard capacity of prescribed strength which carry labels and security code prescribed by the Excise Commissioner.

(v) The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the form and register (FL-25A), as prescribed by the Licensing Authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents as required by the inspecting authority.

(vi) The licensee shall store entire stock of Foreign Liquor in the licensed premises only.

(vii) The licensee shall affix conspicuous signboard at the entrance to the premium retail vend in the form/size approved by the Excise Commissioner bearing the name of the licensee, designation, location of premium retail vend, period of license, opening and closing time of vend and such other information as prescribed by Licensing Authority in bold letters.

Column-I
(Existing rule)

(viii) The signboard will also display the following information :-

“Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of premium retail vend or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable”

“Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

(ix) It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises.

(x) The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious disease, or has criminal background, or a woman.

(xi) The licensee shall not make sale to any purchaser in quantity more than 6 litres of foreign liquor, bottled in India and imported, each separately inclusive of whisky, brandy, rum (including white rum), gin and vodka; 3 litres of wine, bottled in India and imported, both separately; 2 litres of other kind of Indian/imported liquor; 7.8 litres of Beer, bottled in India and imported, each separately; as well as 6 litres of LAB at a time except under permit.

(xii) Sale shall not be made to a person below the age of 21 years or a Government official in uniform.

(xiii) The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles, their labels, security code and pilfer proof seals.

(xiv) The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, caramel, colour, essence, security code, labels, capsules, seals or any other noxious material.

(xv) The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(viii) The signboard will also display the following information :-

“Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of premium retail vend or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable”

“Drunken driving can be fatal, please do not drink and drive.”

(ix) It shall be strictly prohibited to carry arms in the licensed premises.

(x) The licensee shall not employ any person as salesmen who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious disease, or has criminal background, or a woman.

(xi) The licensee shall not make sale to any purchaser in quantity more than as prescribed by Excise Commissioner with approval of State Government at a time except under permit.

(xii) Sale shall not be made to a person below the age of 21 years or a Government official in uniform.

(xiii) The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles, their labels, security code and pilfer proof seals.

(xiv) The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, caramel, colour, essence, security code, labels, capsules, seals or any other noxious material.

(xv) The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales, such as dancing floors or gambling.

Column-I
(Existing rule)

(xvi) The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10.00 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 03 more days as notified for closure by the Licensing Authority. The Licensing Authority may also order for closure of premium retail vend on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of premium retail vend on above dates/days.

(xvii) The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages for which license is granted.

(xviii) The licensee shall on expiry of the license, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.

(xix) No country liquor or any other substance shall be stored in licensed premises of premium retail vend.

(xx) The licensee can install a dispensing machine for sale of foreign liquor.

(xxi) The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

Column-II
(Rule as hereby substituted)

(xvi) The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10.00 pm except on 14th April (Ambedkar Jayanti), 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), and up to 03 more days as notified for closure by the Licensing Authority. The Licensing Authority may also order for closure of premium retail vend on account of law and order or general election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of premium retail vend on above dates/days.

(xvii) The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor, beer, wine and low alcoholic beverages for which license is granted.

(xviii) The licensee shall on expiry of the license, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed of in accordance with rule-16.

(xix) No country liquor or any other substance shall be stored in licensed premises of premium retail vend.

(xx) The licensee can install a dispensing machine for sale of foreign liquor.

(xxi) The licensee shall abide by the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner or licensing authority from time to time.

(xxii) The licensee of the vend may provide tasting room facility of wine to buyer.

(xxiii) The licensee of the vend may sell accessory regarding liquor consumption.

Date.....

District.....

Licensing Authority

Date.....

District.....

Licensing Authority

By order,
P. GURU PRASAD,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.